

पार्श्वस्थ,  
संप्रिय, प्राप्तिपाद तिला परिषद्  
प्रत्यय इदं स व्यवह.

http://www.w3.org/2001/sw/semweb/2009/01/talk

卷之三十一 14-0-2020

— 10 —

एवं यह अनुभव विभिन्न रूपों में दर्शाया जाता है। इसके साथ ही यह अनुभव विभिन्न रूपों में दर्शाया जाता है।

‘मात्र 2020-21 हेतु जनरल्यापिता होने वाली किसीलोगा इन प्रारंभी संस्थाएँ किन्होंने पी०सी०आई० इतना सत्र 2020-21 हेतु अनुपयोग उदाहरण किया गया है, क्योंकि सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति हुआ किया गया। ऐसी किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र को आवाहन पर संवेदनस्ति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित राज्यकालीन कालीन नियमित कारबग्ह आमे एवं नियमित के दौरान यदि ताल्लुगा में भूमि, भवन, प्रदौषणकाला, उपकरण एवं अन्य साज-साज्जा पी०सी०आई०/परिषद द्वारा नियमित उपराज्य नहीं पाया जाता है तो ताल्लुगा की सम्बद्धता बिना किसी राधना के अध्याध कार दी जाएगी।’

मा. रिप्रेस्युलर समिति गोपनी वे परिषद की लाभान्वता समिति द्वारा उपरोक्त वे अधिकार वा अधिकारों द्वितीय वर्षांत तक जा सकते होते हैं। इस विधायिक समीक्षा के कारण विधायक द्वारा उपरोक्त वे अधिकारों की समर्पण विधायक विधायिक समीक्षा की विधी है।

क्र. सं.	प्राप्ति का नाम	प्राप्ति का वर्ग	मिलीवाले द्वारा दिया गया अनुमति का दस्तावेज़ वाली घटना	दिलाया गया दस्तावेज़ वाली अनुमति वाली घटना
1	लैंड को बेंच में बिल्डिंग परिसरी को एक एमिशन एक्स्प्रेस, ए.ए. लैंड को बेंच द्वारा	प्राप्ति का वर्ग	60	60

卷之三

三  
四

१९००- भारत/प्राचीन संस्कृत/३००/६७१-६७२

西行記 1-2

અને કાર્યક્રમ / વિભાગ એટાં એવી પાર્ટી જીદુંદું હોયની આજી લેખાની કષ્ટનાની

www.sagepub.com

ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ,  
ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ, ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ  
ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ

संस्कृत- अधिनय/विविद तथा अद्वितीय/2021/

卷之三

— 10 —

अधिसंभालीय वार्तालैटी विभाग परिषद, नई दिल्ली/वार्तालैटी काउन्सिल और दिल्ली, नई दिल्ली द्वारा  
प्रतिक्रिया संख्या 2021-22 द्वारा दिल्लीला वर्तमान वार्तालैटी विभाग सम्बद्धी को प्रकृत्यांगन प्रणाली विभाग द्वारा  
प्रतिक्रिया विभाग परिषद, उत्तर भारत ये सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग द्वारा दिया आये द्वारा दिल्ली 8-8-2021 को  
परिषद वार्तालैटी द्वारा सम्बद्धता वार्तालैटी की दैनिक राज्यकाल द्वारा  
दिल्ली में सम्बोधित हुए। दिल्ली में सम्बोधित हुए संख्या 2021-22 द्वारा आवृत्ति नई  
वार्तालैटी को सम्बद्धता/पूर्वी विभाग सम्बद्धता को सम्बद्धता विभाग/प्रद्युम्नानगर/परोपकार द्वारा लाइट अन्य  
जल्दी पर विभाग द्वारा हुए संख्या 2021-22 द्वारा सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग द्वारा दिये गये का विवरण दिया गया।

उत्तर के अनुसार वी समस्याएँ गठित हो रही हैं जो नियंत्रण के प्रयत्नों में नियन्त्रण की कानूनीतिक स्थिति परिषद, 30-30 अक्टूबर द्वारा सन् 2021-22 ईशु विभागित रूपी के अधीन पाठ्यकाल एवं उपर्युक्त अधिकार प्रदान के बाबत होती हैं।

क्रमांक	नामः संकेत	संस्था का नामः	सभा १००३-१०४ वेस्ट ग्रीनफिल्ड मार्ग मनुगोलीड फल्कलम एवं पुरेश जगता	परिषद छात्र मनुगोलीड वेस्ट जगता
01	1303	श्रीमति श्री नवाजी मनुगोलीड द्वारा संस्था प्रियंका द्वारा ग्रीनफिल्ड-१००३	क्रिस्टल फ्लॉर्सिंग-१०३	६०

www.bu.edu

ମୁଦ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରିକା  
ପାତ୍ରିକା

ભૂત્તિ- પાઠ્યકારીનામાં / 2021/૧૨/૧

संदर्भ: 10/०९/२०२१

प्रतिलिपि-प्रधानमंत्री/लिंगपाल, कर्तव्य वर्षा भारती, प्रधानमंत्री प्रकाशनी, अप्रैल १९८५। दस्तावेज़।

(मुख्य निपात नियम)

## कार्यालय,

## सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

## उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:कार्यालय ज्ञाप:-

अगुल मारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिल्लीमा जलायी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक ने लिये गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम पूर्व उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1303-COLLEGE OF PHARMACY JSS ACADEMY OF TECHNICAL EDUCATION, NOIDA**

क्रांति	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पीएसी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था प०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमादली 1992, विनियमादली-2000, सेमेस्टर विनियमादली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुयातन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीण पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिशेष त्रै वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिशेष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अंतरिक्ष) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिशेष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अंतरिक्ष छात्र/छात्रा ओं से शुल्क के समय-समय में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कारबाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नईनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्गत क्षमता एवं सम्बद्धता शुल्क त्रै वर्षों द्वारा निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा छानाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरवाचिक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था नवय उत्तरवाची होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विलक्षण यदि कोई बाद दापर किया जाता है तभा दापर बाद के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार ली ग्रातिपूर्ति संबंधी अदेश निर्मात किया जाता है तो समस्त ग्रातिपूर्ति संबंधित संस्था जी करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ग्रन्येका रुप्रे प्रदेश हेतु आपैजित काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार परादीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं ली जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाधकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाए जैसे संस्था की ऐतिहासिक यृष्टि भूमि, नाम, साज-सज्जा, उपकरण, ग्रान्त किया जाने वाला शुल्क, वातावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था जो शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोकने के सम्बन्ध में समस्त आरक्षण उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ते कि संस्था ने प्रस्तावित/ संक्रान्ति पाठ्यक्रम को घोषये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यादि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी वानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तब्कात संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही ली जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक उपलब्ध निरीक्षण के दोरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त हो दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता वालों का अनुपालन न किये जाने अथवा वालों का उत्तराधीन किये जाने जी स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एफ०आर० खाना)

सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

ग्रहितिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक COLLEGE OF PHARMACY JSS ACADEMY OF TECHNICAL EDUCATION,  
NOIDA

(एफ०आर० खाना)

सचिव